राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 19/2020

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

प्रार्थीगण

1. दीपसिंह पुत्र नेनसिंहजी आयु–वयस्क
2. ओकसिंह पुत्र नेनसिंहजी आयु–वयस्क
3. उछबकंवर पुत्री नेनसिंहजी आयु–वयस्क
4. टीपूकंवर पुत्री नेनसिंहजी आयु–वयस्क
5. पवनकंवर पुत्री नेनसिंहजी आयु–वयस्क

जातिगण तमात–राजपूत, निवासीगण–देवडो का गुडा(गुडा देवडा मेडतियान) तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. देवीसिंह पुत्र जोगसिंहजी आयु–वयस्क
2. पूरणकंवर पत्नि देवीसिंहजी आयु–वयस्क
3. पवनकुवर पत्नि जोगसिंहजी आयु–वयस्क
4. मदनसिंह पुत्र जोगसिंहजी आयु–वयस्क
5. मूलसिंह पुत्र भोपालसिंहजी आयु–वयस्क
6. श्रवणसिंह पुत्र जोगसिंहजी आयु–वयस्क

   जातिगण तमाम राजपूत, देवडो का गुडा(गुडा देवडा मेडतियान) तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

7. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री दिलीप व्यास प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हुकुमसिंह सोलंकी अप्रार्थी संख्या 01 व 05 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2,3,4 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30.09.2022**

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी [illegible] गमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया [illegible] खाता संख्या 77 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थीगण अपने आवेदन के साथ [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की [illegible] खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खाता संख्या नया 85 एवं 84 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी कृषि भूमि ग्राम [illegible] किस्म चाही दोयम जाव डायलाना खुर्द के खसरा नम्बर 493 रकबा 0.9400 हेक्टर किस्म चाही दोयम (रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु दोयम में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस में स्थित

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भूमि खसरा नम्बर 499 रकबा 2.2000 हेक्टर, खसरा नम्बर 499/750 रकबा 0.1600 हेक्टर में से पूर्वी माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकुमसिंह सोलंकी ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 07 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जाच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020/128 दिनांक 24.08.2020 को लिखा गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

4– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 05 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व आपत्ति में बताया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 493 में पंहुचने एवं आने जाने व कृषि औजार व साधन ट्रेक्टर व मवेशी आदि लाने व ले जाने हेतु इसी भूमि से लगती हुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम गुडा देवडान मेडतियान के खसरा नम्बर 235 रकबा 0.0100 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा के पास स्थित खसरा नम्बर 234 मे से होकर मौजा ग्राम डायलानाखुर्द के खसरा नम्बर 493 व 234 की सरहद का एक ही माठ है व खसरा नम्बर 235 जो प्रार्थीगण का संयुक्त बेरा है एवं अप्रार्थीगण की जमीन में से होकर कभी भी प्रार्थीगण की जमीन में आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है परन्तु अब खसरा नम्बर 500 मे सडक बनने के कारण प्रार्थीगण की नियत में फर्क आ जाने से उक्त प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। परन्तु मौके पर कदीम से पीढियों से प्रार्थीगण की जमीन मे आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 235 व 234 की तरफ से विद्यमान है एवं प्राथीगण की भूमि में आन–जाने का वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी उक्त प्रार्थना पत्र .गलत नक्शा पेश किया है एव प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की किमती जमीन को जबरदस्ती बलपूर्वक हडपने की नियत से व जबरदस्ती रास्ता लेने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र गत पेश किया है जो प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नहीं है एवं काबिले खारिज के है अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।।

5– अप्रार्थी सख्या 07(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2022/257 दिनांक 27.07.2022 के जरिये पटवार हल्का डायलानाकंला, भू–अभिलेख निरीक्षक डायलाना कला से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की जाच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा [illegible]3 रकबा 0.94 हेक्टर पर पंहुचने हेतु खसरा नम्बर 499 रकबा 2.2000 हेक्टर [illegible] खसरा नम्बर 499/750 रकबा 0.1600 हेक्टर में से [illegible]
2. यह कि मौके पर खसरा नम्बर 499 में [illegible] व एक झोपडी बनी हुई है।
3. यह कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 499 त[illegible]499/750 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है परन्तु उक्त माठ पर खसरा नम्बर 498 रकबा 0.01 गै.मु. बेरा एवं पक्का कमरा तथा झोपडी होने से उक्त खसरा में से रास्ता नही दिया जा सकता।

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मु. न. 19/2020
अनवान दीपसिंह वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

6–बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्या को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर कदीम से पीढियों से प्रार्थीगण की जमीन मे आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 235 व 234 की तरफ से विद्यमान है एवं प्राथीगण की भूमि में आन–जाने का वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी उक्त प्रार्थना पत्र ,गलत नक्शा पेश किया है एवं प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की किमती जमीन को जबरदस्ती बलपूर्वक हडपने की नियत से व जबरदस्ती रास्ता लेने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र गत पेश किया है जो प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 499 तथा 499/750 की पूर्वी माठ पर खसरा नम्बर 498 रकबा 0.01 गे.मु बेरा एवं पक्का मकान तथा झोपडी बनी हुई है जिससे उक्त प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतएवं

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:54 IST
Reason: SelfAttested